DUTIES AND RESPONSIBILITY OF PRO AND OTHER POLLING OFFICERS,MOCK POLL

Updated By : DLMT Team AJMER

www.rajteachers.com

लोकसभा आम चुनाव, 2019

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

- नियुक्ति ६ प्रशिक्षण के समय
- मतदान से पूर्व का दिन
- मतदान केन्द्र पहुँचने पर
- मतदान के दिन मतदान से पूर्व
- मतदान के समय के दौरान
- मतदान पूरा होने के पश्चात

www.rajteachers.com

- आपकी नियुक्ति/प्रशिक्षण के समय- पूर्णत: निष्ठा के साथ सैद्धांतिक और नवीनतम EVM मशीनों की कार्यप्रणाली जानने के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा
- नियुक्ति आदेश के साथ ही आपको प्रपत्र 12/12क की प्रति मिली होगी इसे भी भरें और प्रशिक्षण के समय इसे जमा करा कर EDC/ POSTAL BALLOT के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करें
- मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपको अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान टोली के साथ मतदान हेतु सभी आवश्यक सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा
- मतदान केंद्र पर पहुंच कर वहाँ की सभी व्यवस्था देख कर मतदान की तैयारी करनी होगी आवश्यक सूचनाओं को मतदान केंद्र के बाहर चस्पा करना होगा
- मतदान दिवस पर मतदान समय से 1 घंटा 15 मिनट पूर्व पहुंच कर मौक पोल की कार्यवाही शुरू करनी होगी

www.rajteachers.com

पीठासीन अधिकारियों हेतु आवश्यक

ध्यान रखें कि मतदान पार्टी को किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र पर रवानगी के समय पर तथा मॉक चुनाव से पहले वीवीपैट परीक्षण करने के लिए निर्देश नहीं है, उन्हें जारी किए गए वीवीपैट पहले ही जाँच और परीक्षण किये हुए हैं। (51/8 / वीवीपैट/ 2017–ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017)

मतदान केन्द्र की स्थापना

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे, तथा मॉडल मतदान केन्द्र के ले–आउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे।

www.rajteachers.com

आदर्श मतदान कक्ष का ले आउट

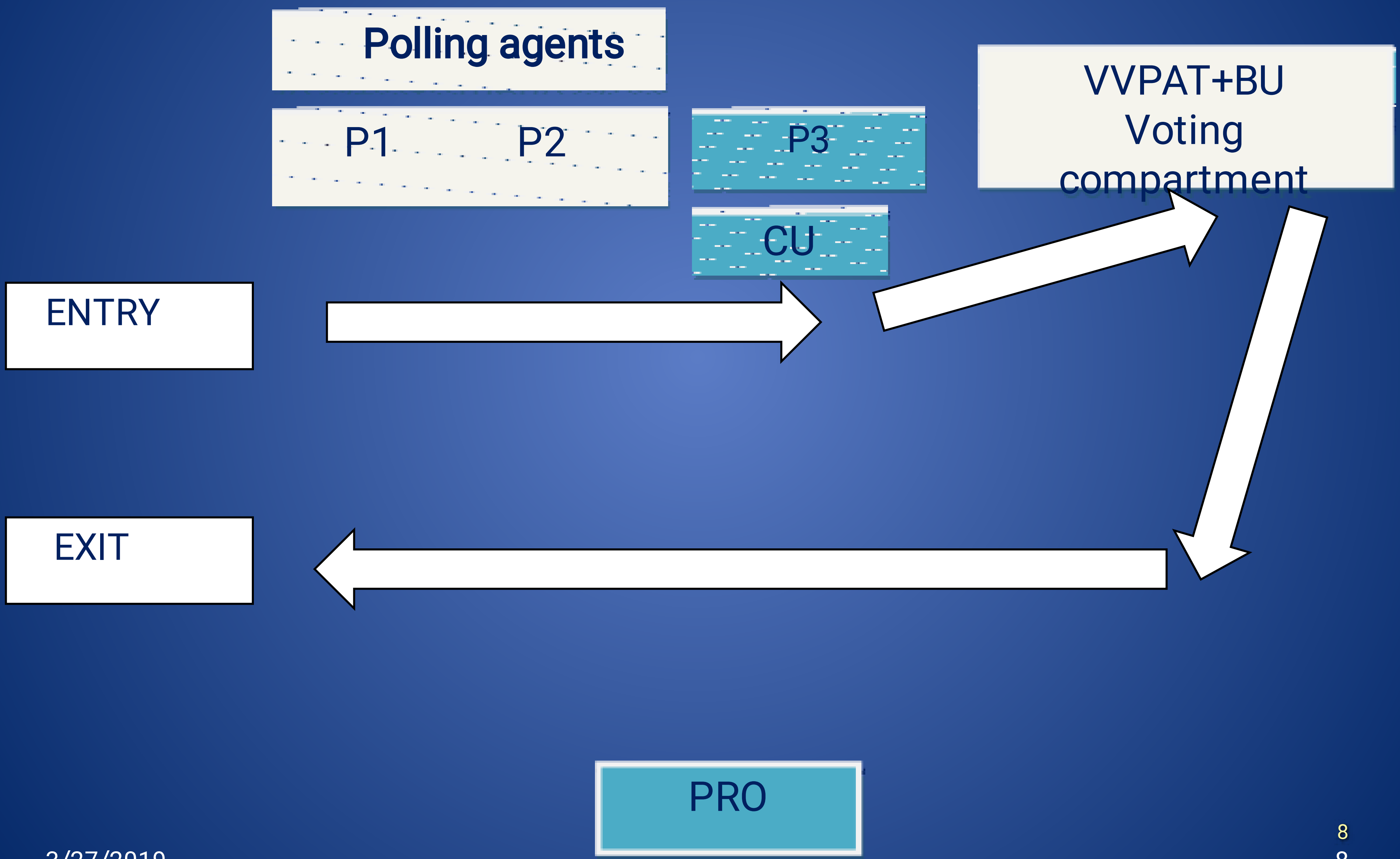

मतदान केन्द्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु

- BU &VVPAT एक साथ मेज पर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जावें
- वोटिंग कम्पार्टमेंट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो।
- VVPAT से CU को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े।
- केबल को वोटिंग कम्पार्टमेंट के नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे।

- छिद्र इतना चौड़ा हो कि VVPAT से केबल निकासी का भाग वोटिंग कम्पार्टमेंट के बाहर से दिखाई दे, किन्तु मत की गोपनीयता भंग न हो।

- यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करें।

- वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

www.rajteachers.com

- मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश व निकास की पृथक व्यवस्था हो (मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों/रस्सियों की सहायता से ए`सी व्यवस्था की जावे)
- मतदान अधिकारियों और पोलिंग एजेंटों के बैठने की व्य वस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए नहीं देख सकें।
- मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। लेकिन VVPAT पर सीधी रोशनी ना पड़े।

मतदान केन्द्र पर राजनैतिक दलों के नेताओं के फोटो या नारे प्रदर्शित नहीं हों। उन्हें मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था की जावे।

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित पोस्टर

- मतदान केन्द्र से संबधित विभिन्न सुविधाएँ यथा मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, केन्द्र में सम्मलित क्षेत्र, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, मोबाइल न., बीएलओ का नाम, मोबाइल न.
- प्रारूप 7 क में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची
- मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र पर Do & DONT'S की सूची
- मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी । मतदान कैसे किया जाना है का प्रदर्शन

www.rajteachers.com

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

अधिकृत पहचान दस्तावेज

- मतदाता फोटो पहचान पत्र

- पासपोर्ट

- ड्राईविंग लाईसेंस

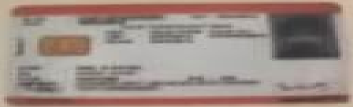

- केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक निजी कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- पैन-कार्ड

- भारत के महारजीस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड

- श्रम योजना की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- चुनाव मशीनरी द्वारा जारी अधिकृत मतदाता पर्ची

- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र
- आधार कार्ड

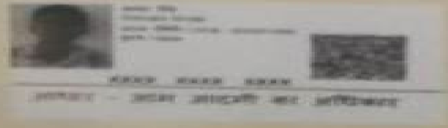

मतदान कैसे करें

1

याद रखें, मत देने के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होना आवश्यक है। मतदाता फोटो पहचान पत्र होना मतदान के लिए गारंटी नहीं है।

2

प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित निर्वाचक नामावली का प्रभारी है, वह आपकी पहचान निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि एवं आप द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज से करेगा।

3

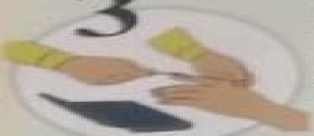

आपकी पहचान स्थापित होने के उपरान्त द्वितीय मतदान अधिकारी जो अमिट स्याही का प्रभारी है, आपके बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा।

4

मतदान अधिकारी-द्वितीय जो मतदाता पंजिका का प्रभारी है वह आपके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता पंजिका में लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा।

5

मतदाता पर्ची की क्रम संख्या के आधार पर तृतीय मतदान अधिकारी आपको मत देने के लिये अनुमति देगा।

6

अपने चयनित अभ्यर्थी के सामने नीला बटन दबायें। लाल चमकती छोटी बत्ती के साथ लम्बी बीप की आवाज आपके सफल मत की पुष्टि करेगी।

7

आपका मत आपकी पसन्द के अभ्यर्थी को गया है, वीवीपैट को देखकर यह संतुष्टि करलें।

www.rajteachers.com

सूचना

(नियम 31 (1) (ख) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

....निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा/विधानसभा के लिये निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवन्टित प्रतीक (दिये गये सिम्बल का विवरण)

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

www.rajteachers.com

लोकसभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

- **Polling Station** (Name/No.): ____________________
- **Total Electors:** ____________________
- **Polling Station Locality:** ____________________
- **Polling Station Building:** ____________________
- **Presiding Officer:** (Name/No.) ____________________
- **Booth level officer:** (Name/No.) ____________________
- **Returning Officer:** (Name/No.) ____________________
- **District Election Officer** (Name/No.): ____________________
- **General Election Observer** (Name/No.): ____________________

Polling Booth Area

मुख्य निर्वाचन अधिकारी / CHIEF ELECTORAL OFFICER

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ____________ State / UT ____________

POLL DAY: / / VOTING TIME: AM to PM

मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधायें :—

1. PWDs वोटर्स की अधिकतम निर्वाचन सहभागिता एवं मतदान केन्द्र तक सुगम्य पहुंच हेतु विधानसभा स्तरीय कमेटी का गठन ACAE
2. PWDs मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार/श्रेणीवार सूची।
3. रैम्प की सुविधा है।
4. व्हील चैयर की सुविधा है।
5. मतदान केन्द्र पर हेल्पडेस्क की सुविधा।
6. दिव्यांग मतदाता को प्राथमिकता के आधार पर मतदान करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। (सामान्य मतदाताओं की पंक्ति में नही लगाना)
7. दिव्यांग मतदाता की पोलिंग बूथ तक आने में सहायता हेतु सहायक/सारथी (volunteer) उपलब्ध है।
8. दृष्टि बाधित मतदाता हेतु डमी ब्रेल मत पत्र एवं EVM मशीन पर ब्रेल संकेत उपलब्ध है।
9. दिव्यांग मतदाताओं के अनुसार फर्नीचर।
10. परिवहन व्यवस्था।
11. मतदान कक्ष के मार्ग पर संकेतक लगवाना।
12. मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की संख्या के आधार पर सुविधा जैसे रैम्प, व्हील चेयर, ओडियो विडियों के माध्यम से आधारभूत सूचना/अनुदेश उपलब्ध करवाना, इसे Accessibility Observer(पर्यवेक्षक) भौतिक रूप से सत्यापित/देखेगे।

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नांकित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जायेगी :—

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी
- अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलो के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीको को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।
- रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलो के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता
- निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता

मतदाता सूचियाँ

- एक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं (working copies of electoral roll) कुल तीन प्राप्त होंगी।
- प्रथम प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास,
- दूसरी प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी के पास,
- तीसरी प्रति पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी।

www.rajteachers.com

- कार्यकारी निर्वाचक नामावली के प्रत्येक सेट में निम्नांकित संलग्न होंगेः–

1. एकीकृत मूल मतदाता सूची (integrated mother roll)

2. पूरक सूची–1 (supplement-1)

3. पूरक सूची–2 (supplement-2)

4 . वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी मतदाताओं की सूची।

5ण परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए) ASD लिस्ट

www.rajteachers.com

- पूरक सूची–1 में जिन मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं, उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत स्वरूप D E L E T E D मुद्रित है तथा पूरक सूची–1 में मतदाता की सम्बन्धित प्रविष्टि में क्रम संख्या के साथ उनके विलोपन का कारण यथा 'E' 'S' 'Q' 'R' तथा 'M' भी मुद्रित है।

E = Expired, S = Shifted,
Q = Disqualified, R = Repeat,
M = Missing

www.rajteachers.com

पूरक सूची 1

- किसी प्रविष्टि की शुद्धि की गई है तो मूल मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक के पहले # निशान मुद्रित किया हुआ है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मूल मतदाता सूची में जो अंकन है उसे पूरक सूची–1 से शुद्ध किया गया है।

- मूल मतदाता सूची में जहाँ Photo as in correction list मुद्रित है, वहाँ पूरक–1 सूची देखी जाएगी और पूरक–1 सूची की फोटो मान्य होगी।

www.rajteachers.com

निर्वाचक फोटो रोल में डिलीटेड या # के चिन्ह के नमूने

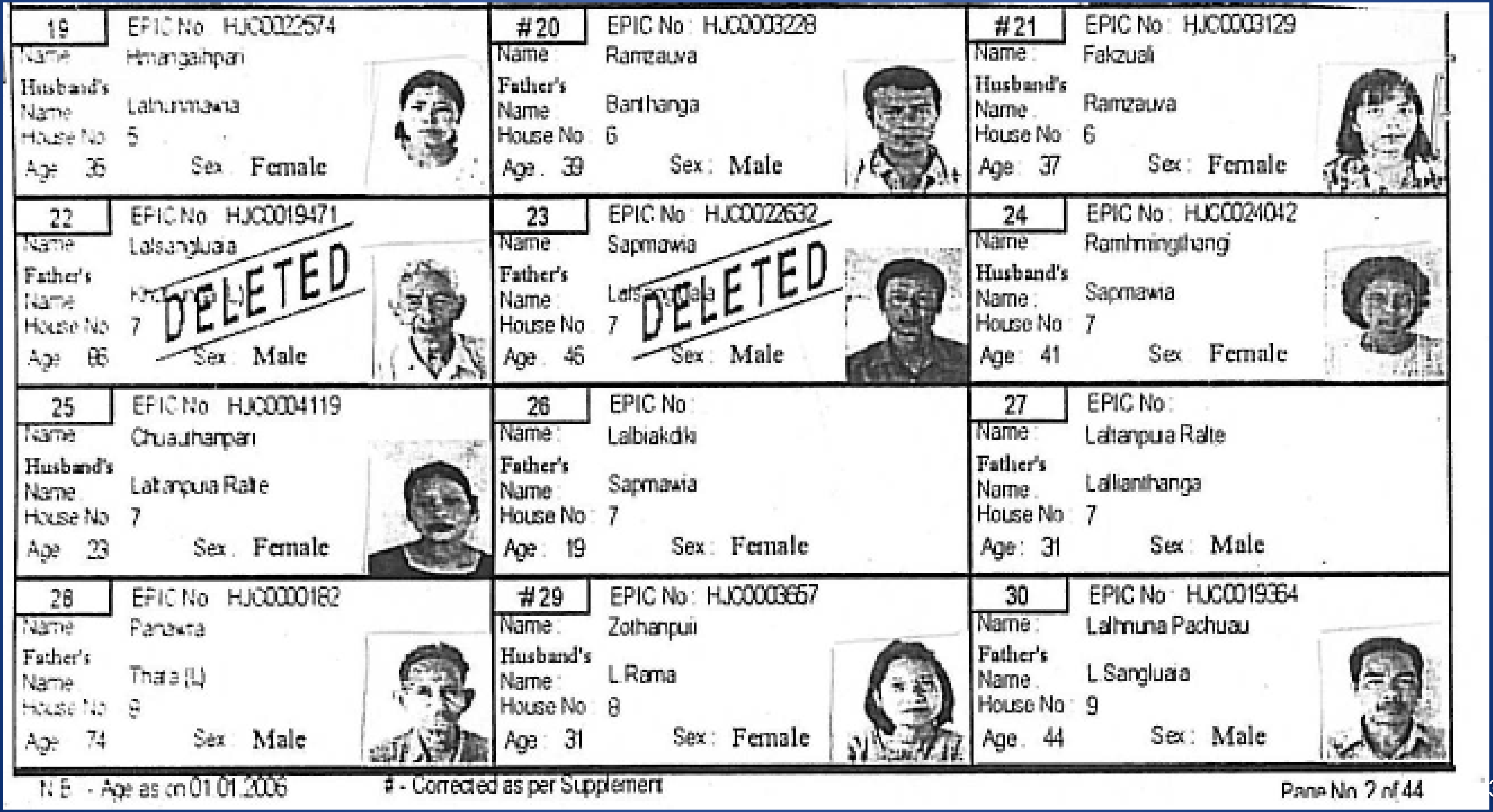

19 EPIC No HJC0022574 Name Hmangaihpari Husband's Name Lalnunmawia House No 5 Age 36 Sex Female	#20 EPIC No: HJC0003228 Name Ramzauva Father's Name Banthanga House No 6 Age 39 Sex: Male	#21 EPIC No: HJC0003129 Name: Fakzuali Husband's Name Ramzauva House No 6 Age 37 Sex: Female
22 EPIC No HJC0019471 Name Lalsangluaia Father's Name Khd... (L) House No 7 Age 86 Sex Male DELETED	23 EPIC No HJC0022632 Name Sapmawia Father's Name Lalsangluaia House No 7 Age 46 Sex: Male DELETED	24 EPIC No HJC0024042 Name Ramhmingthangi Husband's Name: Sapmawia House No 7 Age 41 Sex Female
25 EPIC No HJC0004119 Name Chuauthanpari Husband's Name Laltanpuia Ralte House No 7 Age 23 Sex Female	26 EPIC No: Name: Lalbiakdiki Father's Name Sapmawia House No 7 Age 19 Sex: Female	27 EPIC No: Name: Laltanpuia Ralte Father's Name Lallianthanga House No 7 Age: 31 Sex Male
28 EPIC No HJC0000182 Name Parawta Father's Name Thata (L) House No 8 Age 74 Sex Male	#29 EPIC No: HJC0003657 Name: Zothanpuii Husband's Name: L Rama House No 8 Age 31 Sex: Female	30 EPIC No HJC0019364 Name: Lalnuna Pachuau Father's Name L Sangluaia House No 9 Age 44 Sex: Male

N.B. - Age as on 01.01.2006 # - Corrected as per Supplement Page No 2 of 44

पूरक सूची 2

मूल मतदाता सूची में लाल स्याही से किये गये अंकन या # चिन्ह् और रबड़ मोहर से लगायी गयी मोहर पूरक सूची–2 के आधार पर है।

मतदाता सूची प्रकाशन के पश्चात जोडे गए नये मतदाताओं के नाम इस पूरक सूची 2 में होते है।

www.rajteachers.com

- मूल मतदाता सूची में D E L E T E D अथवा # चिन्ह अथवा Photo as in correction list शब्द/वाक्यांश, जो मुद्रित है, वे पूरक सूची–1 के आधार पर हैं।
- मूल मतदाता सूची में लाल स्याही से किये गये अंकन या # चिन्ह् और रबड़ मोहर से लगायी गयी मोहर पूरक सूची–2 के आधार पर है।

www.rajteachers.com

मतदाता सूचियों में लिपिकीय/टंकण त्रुटियाँ –

- यदि मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति नहीं है, लेकिन टंकण/लिपिकीय अशुद्धि मतदाता सूची में है, तो उसे दरकिनार (Ignore) किया जायेगा।
- किसी मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता द्य

www.rajteachers.com

- निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द PB या EDC मार्क है उन्हें मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी।

- वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रोक्सी द्वारा मतदान केन्द्र में वोट डाला जायेगा और उसकी बांयी मध्यमा (Left middle finger) पर अमिट स्याही लगायी जायेगी, ताकि वह व्यक्ति यदि मतदाता है तो अपना वोट भी डाल सके।

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में

- मतदान अभिकर्ता उसी मतदान बूथ/अथवा निकटवर्ती मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए उसके नियुक्ति पत्र पर उम्मीदवार अथवा उसके इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए
- उसके पास उसका फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र [EPIC] अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य कोई फोटो युक्त वैध दस्तावेज होना चाहिए
- मतदान अभिकर्ता को उसकी मतदाता सूची मतदान बूथ से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी

मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में

- अपरांह 3.00 बजे बाद मतदान अभिकर्ताए रिलीवर अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में नहीं बैठा पायेगा अर्थात स्वयं भी 3.00 बजे बाद मतदान केन्द्र से बाहर नहीं जाय `गा
- मतदान अभिकर्ता ऐसे स्थान पर बैठाये जायेंगे जहां से वे मतदाता की पहचान करने के साथ–साथ पूरे मतदान केन्द्र की गतिविधियों को देख सकें किन्तु मतदान की गोपनीयता भंग न हो
- किसी बूथ पर ज्यादा मतदान अभिकर्ता होने पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी

प्ररूप - 10

(नियम 13 (2) देखिये)

*मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

.... ** के लिए निर्वाचन

मैं, ... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में *अभ्यर्थी हूँ/ .... का, जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्द्वारा .... (नाम और पता) को .... में .... संख्यांक वाले *मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थान .... में हाजिर रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख .... *अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख .... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128** द्वारा, *जो मैंने पढ़ ली है/ जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा।

तारीख .... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

तारीख .... पीठासीन ऑफिसर

---

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किये जाने के लिये मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) .... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
(2) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
(3) .... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(4) .... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(5) .... विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
(6) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

*जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिये।

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128-

"128 **मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना** :- (1) ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा

www.rajteachers.com

inBkklhu vf/kdkjh ds dÙkZO;

1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षक है।
2. मतदान केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में सम्पूर्ण व्य वस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का हैं।
3. मतदान केन्द्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मत, **नेत्रहीन,** शिथिलांगएअल्प आयु मतदाताओं द्व ारा मतदान के मामले निपटाना।
4. नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप सील लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
5. **सेक्टर अधिकारी** द्वारा **पर** मांगे जाने पर डाले गये मतों की संख्या बताना।

पीठासीन vf/kdkjh के कर्त्तव्य

6. मतदान समाप्ति पर CU **का** क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना।
7. मतदान समाप्ति के बाद CU ,VVPAT, तथा BU को कैरिंग बॉक्स में सील करना।
8. सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना।
9. समस्त **मतदान सामग्री** एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस **संग्रहण केंद्र पर निर्धारित रूट से** लौट कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर **मतदान सामग्री** जमा कराना।

मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व

- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गये मतों की संख्या का समय – समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता *'मतदाता रजिस्टर'* में हस्ताक्षर किये बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिये है वे मतदान किये बिना बाहर नहीं चले जाए।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।
- मतदान अभिकर्ताओं का मूवमेन्ट रजिस्टर का संधारण करना।

अनुलग्नक – 17
(खंड 9,पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्त्ता / सहायक मतदान अभिकर्त्ता आवा-जाही (विजिट शीट)प्रपत्र–मतदान केन्द्र का नाम व संख्या

क्र0सं0	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या	प्रत्याशी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मतदान अभिकर्त्ता / सहायक अभिकर्त्ता का नाम	आने का समय	हस्ताक्षर	जाने का समय	हस्ताक्षर
1									
2									
3									
4									
5									

पीठासीन अधिकारी

यदि कोई **पर्दानशीन महिला** मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो, को बुलवाकर ऐसी पर्दानशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1ण प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भारसाधक होगा।

2ण निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।

3ण निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।

4ण प्रशासन द्वारा शासकीय पहचान पर्ची (Voter Slip) वितरित की **जाती है** जिससे **मतदाता की पहचान** की जा सकती है। **यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है।** पहचान के लियें केवल वोटर स्लिप लाना ही पर्याप्त नहीं है, पहचान के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC) या अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना आवश्यक है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है।

5ण मतदाता अपने साथ अशासकीय **पर्ची भी ला सकता है** जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे मत देना **है इस पर्ची के साथ मतदाता को पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे**

6ण **पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि** अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो।

7ण अशासकीय पहचान पर्ची भी निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टिय
ों का पता लगाने में सहायता करेगी।

निर्वाचन आयोग के नवीनतम् निर्देशानुसार वोटर स्लिप या शासकीय पर्ची पहचान का मान्य दस्तावेज नहीं है वोटर स्लिप के साथ EPIC या अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना आवश्यक है

www.rajteachers.com

ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है।
उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान
दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पड़ेगा।

www.rajteachers.com

oSdfYid QksVks igpku i=

1. पासपोर्ट
2. ड्राईविंग लाइसेन्स
3. राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा,के उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र, केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
4. बैंकों,डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पास युक्त
5. पेन कार्ड
6. आर जी आई एवं एन पी आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9. फोटो युक्त पेन्सन दस्तावेज
10. निर्वाचन तन्त्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
11. सांसदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. आधार कार्ड

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

8 प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टी की क्रम संख्या को पढ़ेगा।

9. उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टी से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता हैं।

10. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।

11. प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् उसका नाम अंडर लाइन नहीं करेगा अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।

12. महिला मतदाता के नाम के आगे क्रमांक पर **लाल स्याही से** गोला [round] बना देना है।

13. जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्र के आधार पर की जावेगी उनके नाम के बांयी और E अंकित किया जायेगा।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

14. यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगें।
15. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगें।
16. अल्प आयु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किये जायेगें।
17. यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जानी चाहिये।
18. मतदाता सूचियाँ फ़ोटो युक्त हैं ,यदि इनके मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता का फोटोए आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परन्तु एसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।

19 **प्रथम मतदान अधिकारी के पास सांख्यिकी प्रपत्र भी होगा।**

20 ASD सूची के मतदाताओं द्वारा मतदान करते समय गहनता से उनकी पहचान की जांच करना।

अनुलग्नक–16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

उन निर्वाचको का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानान्तरित/मृतको की सूची में है।

मैं एतद् द्वारा सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम............................निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली जो अर्हक दिनांक जनवरी 201...................की प्रथम दिनांक को तैयार/संशोधित की गई, के भाग संख्या............के क्र.सं.....................पर है। मैं अवगत हूँ कि निर्वाचन में प्रतिरूपण करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171D के अन्तर्गत एक अपराध है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम..

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा एवं उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम
दिनांक..

www.rajteachers.com

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा। **यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति के साथ बैठा होगा**

2. इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी।

3. जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है ।

4. मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते नाखून एवं चमड़ी के (रिज़) युग्म से नीचे तक अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

5 मतदाताओं के रजिस्टर 17 क में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा ए वं मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा।

6 मतदान रजिस्टर **17 क** में EPIC के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के **पहचान के सबूत वाले** कॉलम में EP और **यदि** मतदाता **कोई** अन्य पहचान–दस्तावेज लाता है उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अन्तिम चार **अंक** रजिस्टर 17–क के **पहचान के सबूत वाले** कॉलम में अंकित किये जायेंगे।

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

7ए मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है केवल निशान नहीं ।; अर्थात हस्ताक्षर स्पष्ट हों)

8. यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बांयें हाथ का अंगूठा लगवाय ` । यदि बांये हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ का अंगूठा लगवायें। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बांये हाथ की अंगुलियों की छाप लें यदि बांयें हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दायें हाथ की अंगुली की छाप लें यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिये। (यह मतदाता किसी साथी की सहायता से मतदान कर रहा है)

9. उपरोक्त कार्य करना के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदान पर्ची जारी करेगा, इसमें वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा।

10. द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी यह मतदान पर्ची , शासन द्वारा जारी शासकीय वोटर स्लिप का प्रतिस्थापन (Substitute)नहीं है |

- अमिट स्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली [Index Finger] पर ही लगायी जायेगी परन्तु केवल एक बिंदू मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगायी जायेगी
- इस कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट स्याही मतदान दलों को उपलब्ध करायी जायेगी

मतदाता रजिस्टर

प्रारूप 17क

(नियम 49 B देखिये)

मतदाता रजिस्टर

.. निर्वाचन क्षेत्र से.............................लोक सभा /राज्य की विधान सभा.....................................के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....

मतदाता रजिस्टर
(अन्दर का पेज)

पेज संख्या ....

क्रम सं0	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रं. संख्यांक	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

दिनांक पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार
निर्वाचक की क्रम संख्या.............................

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्य
ा ....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर ....

तृतीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य

1. नियंत्रण यूनिट का भार साधक होगा।
2. तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज पर बैठेगा।
3. मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची मतदाता से प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा।
4. नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी बैलेट य ूनिट को चालू करेगा
5. मतदाता को उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में रोकेगा।
6. निर्वाचक के वोटिंग कम्पार्टमेंट से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।

www.rajteachers.com

टेस्ट वोट का प्रावधान -नियम 49MA

- मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है VVPAT में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं हुआ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देंगे|
- अब 17 क रजिस्टर उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी , उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जायेगा |
- यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे|
- यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जायेगी कि मतदाता ने नियम 49 MAके **उपनियम 1**के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यार्थी के पक्ष में दिया है सम्बन्धित मतदाता के हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी भी लिए जायेंगे |
- प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी |

www.rajteachers.com

नियम 49MA(1) के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र

Annexure-26

General/Bye-Election to...

Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency..........................

No. and Name of Polling Station...

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

1. I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.

(2). I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding Officer appointed under Section 26 of the RP Act, 1951 is found to be incorrect.

Signature/Thumb impression of the Elector
Name of the Elector.....................................
Father/Mother/Husband's Name..................
Part No. of elector roll...............................
Sl. No. of elector in that Part........................
Sl. No. in Register of Voters (Form 17A)..........

Dated.....................

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.

Signature of the Presiding Officer
....
Dated............

www.rajteachers.com

MOCK POLL PROCESS

- पीठासीन अधिकारी द्वारा बनावटी मतदान (Mock Poll) किया जायेगा जो मतदान प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व किया जायेगा। उस समय यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इन्तजार करेगा। पीठासीन अधिकारी बनावटी मतदान की कार्यवाही करने के उपरान्त एक निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी देगा जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी किये जायेगे।
- मतदान के दौरान मशीन खराबी के कारण यदि पूरा सैट बदला जाता है तो उसमें भी बनावटी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

www.rajteachers.com

- अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि मौक पोल प्रारम्भ करते समय इस मशीन में पहले से कोई मत अंकित किये हुये नही है | VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स खाली है द्य
- नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जावेंए ये मत इस प्रकार दिए जावें कि सभी बटन चैक हो जावें
- यदि मतदान के समय पूरा सेट बदला जाता है तो दुबारा मौक पोल में प्रत्येक उम्मीदवार को 1 मत दिया जाने का प्रावधान है |

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

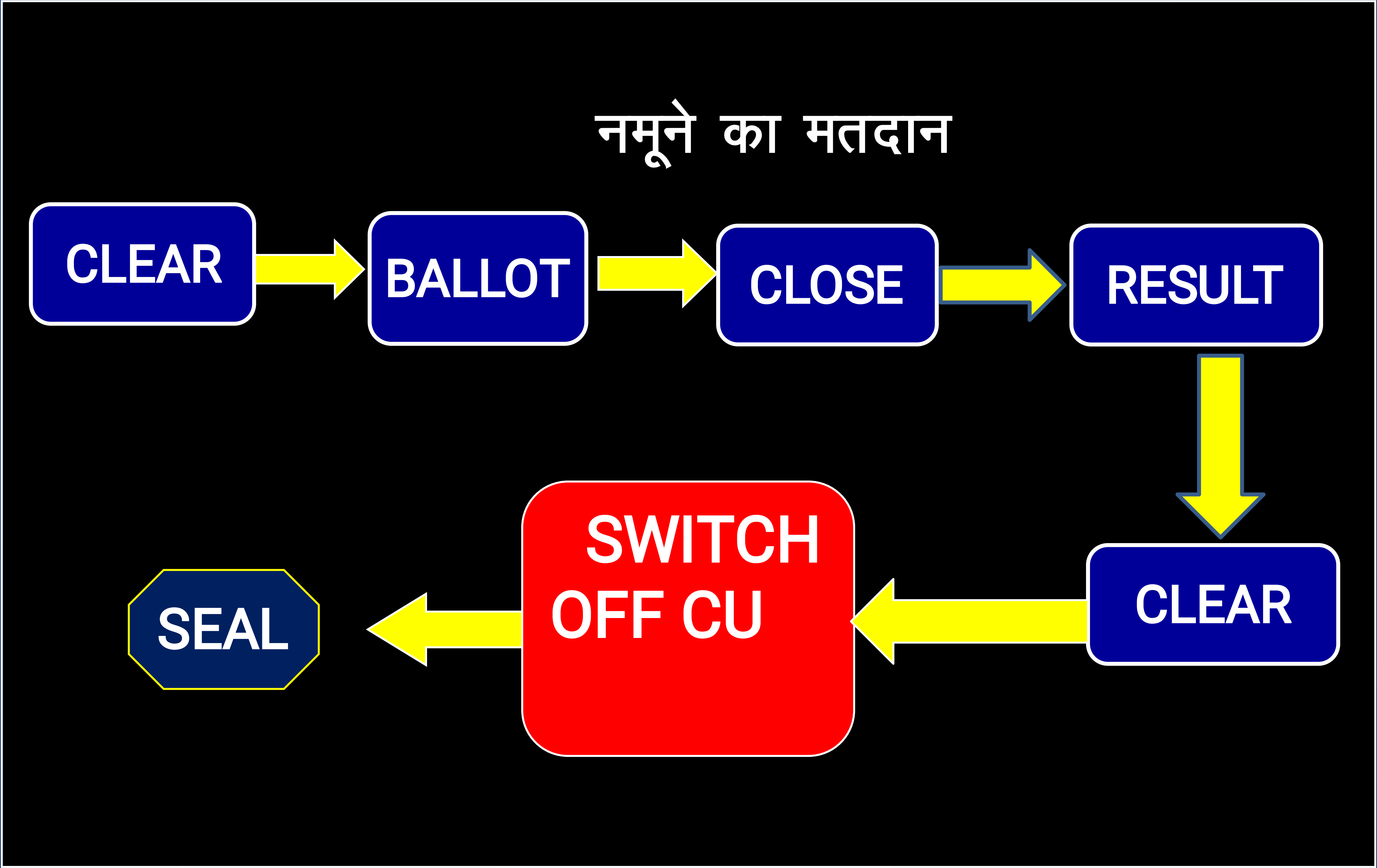

मौक पोल की प्रक्रिया

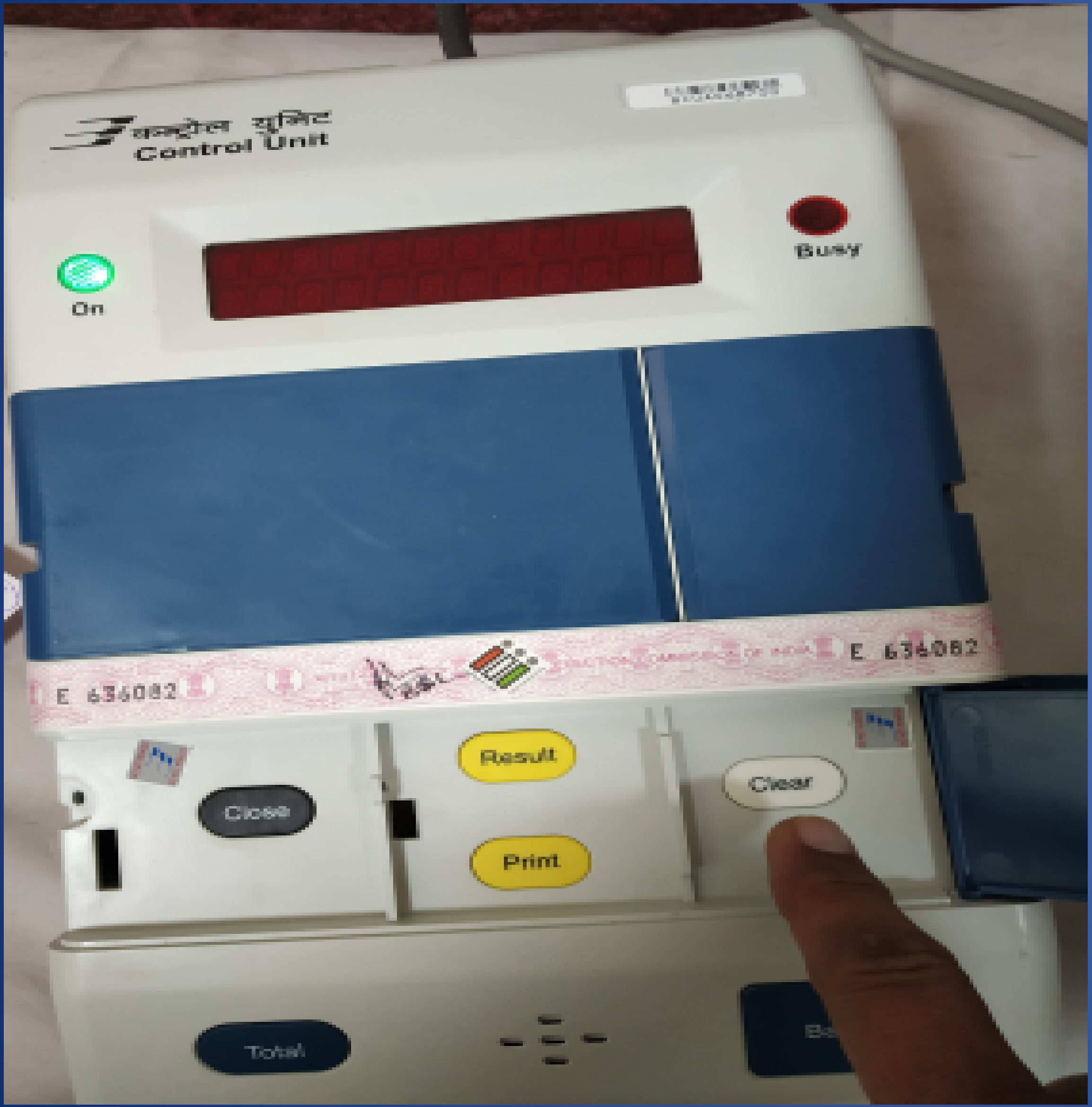

- आपको सबसे पहले ''क्लीयर'' बटन दबाना है।
- क्लीयर बटन दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाएँ कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है , इस समय डिस्प्ले इस प्रकार हैं

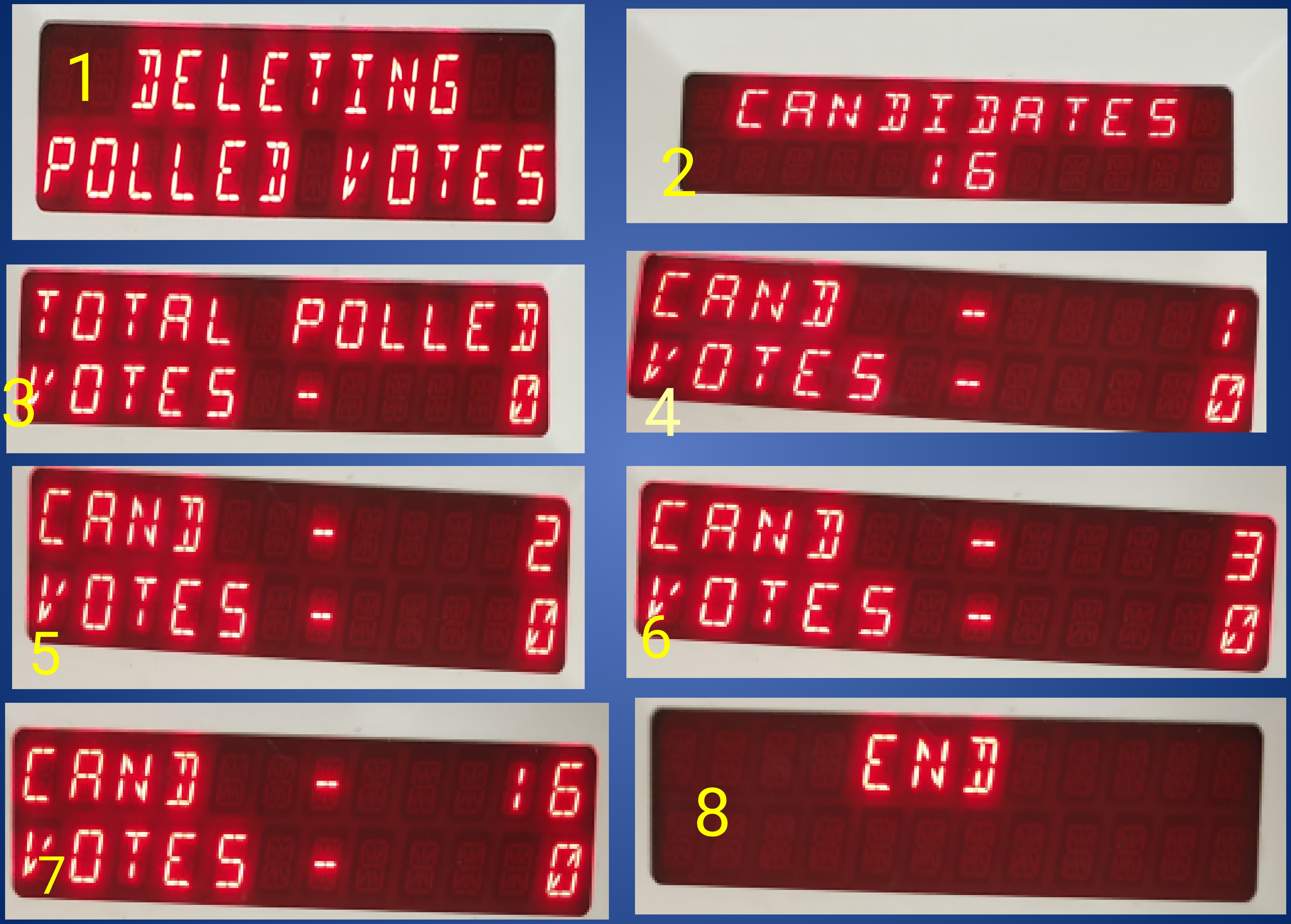
1
DELETING
POLLED VOTES
2
CANDIDATES
:6
3
TOTAL POLLED
VOTES - 0
4
CAND - 1
VOTES - 0
5
CAND - 2
VOTES - 0
6
CAND - 3
VOTES - 0
7
CAND - 16
VOTES - 0
8
END

अब बैलेट बटन दबा कर बनावटी मतदान किया जाएगा ,न्यूनतम दिए गए मतों की संख्या 50 होनी चाहिए

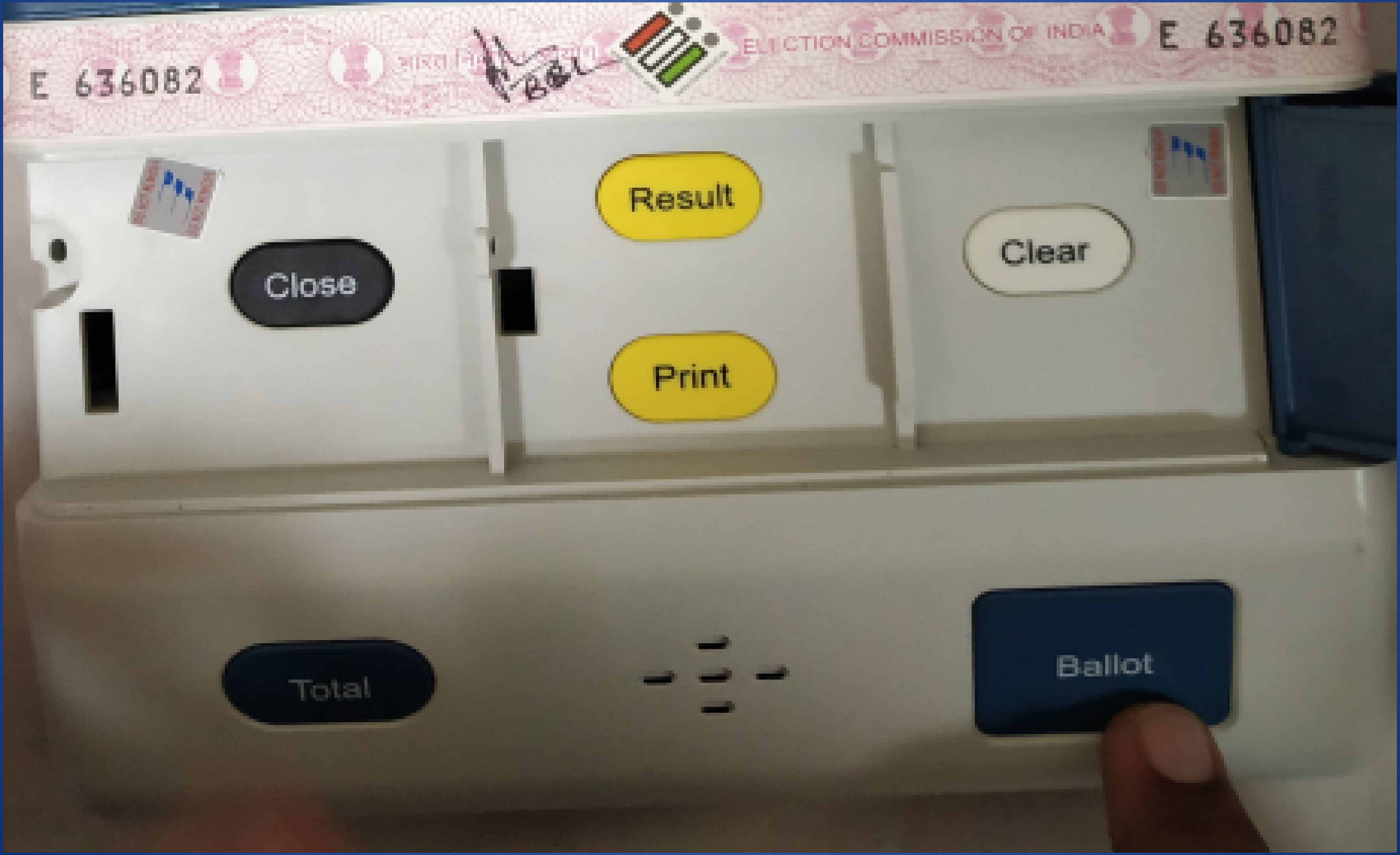

बैलेट बटन दबाने पर BU में हरी बत्ती जल जायेगी

बैलेट यूनिट में सम्बन्धित उमीदवार के सामने का नीला बटन दबाने पर BU में लाल बत्ती जल जायेगी और VVPAT में सम्बन्धित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंट स्लिप पर प्रदर्शित होंगे|

यह सूचना 7 सैकंड तक प्रदर्शित होगी इसके बाद प्रदर्शित स्लिप VVPAT की स्लिप ट्रे में कट कर गिर जायेगी, और CU में बीप की आवाज सुनाई देगी तो मत देने की प्रक्रिया पूरी होगी |

यह प्रक्रिया न्यूनतम 50 वोट तक दोहराई जायेगी |

वांछित संख्या में मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर मत प्रक्रिया समाप्त की जायेगी |

www.rajteachers.com

मतदान के समय डिस्प्ले

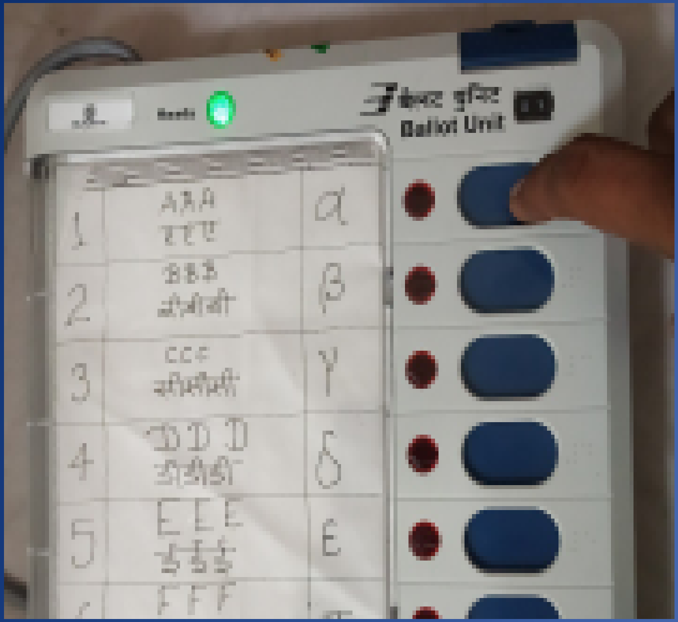

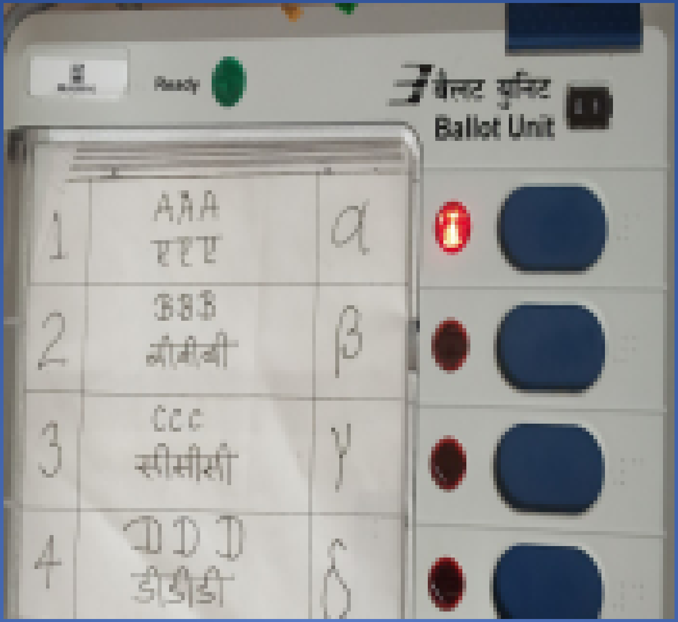

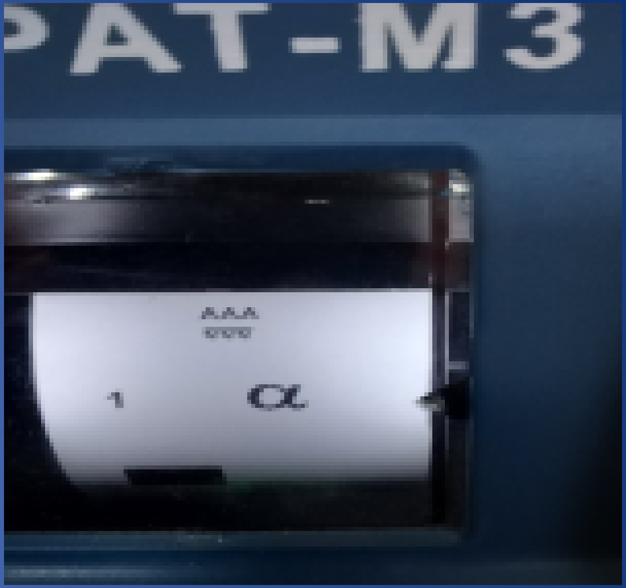

सभी उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबा कर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा

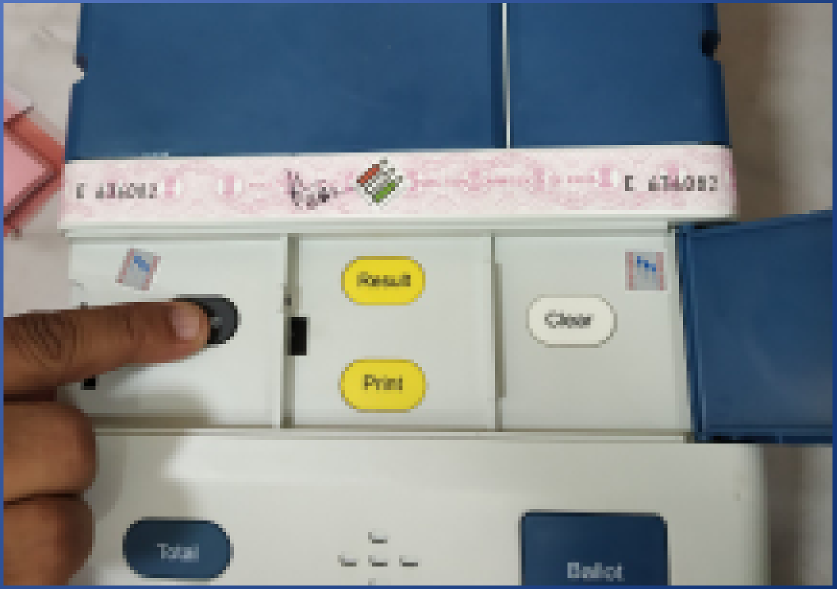

कंट्रोल यूनिट

- क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी

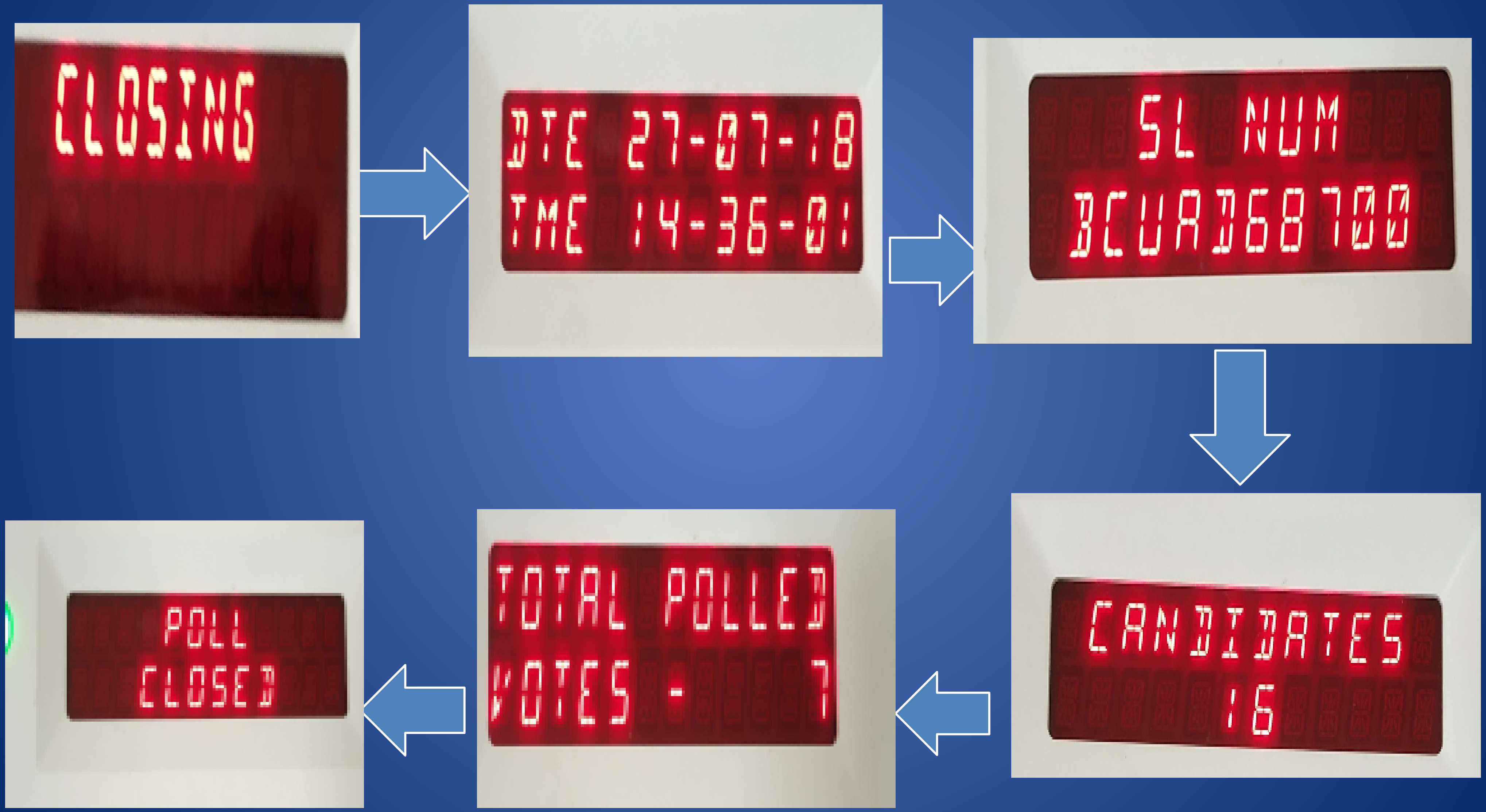

रिजल्ट बटन

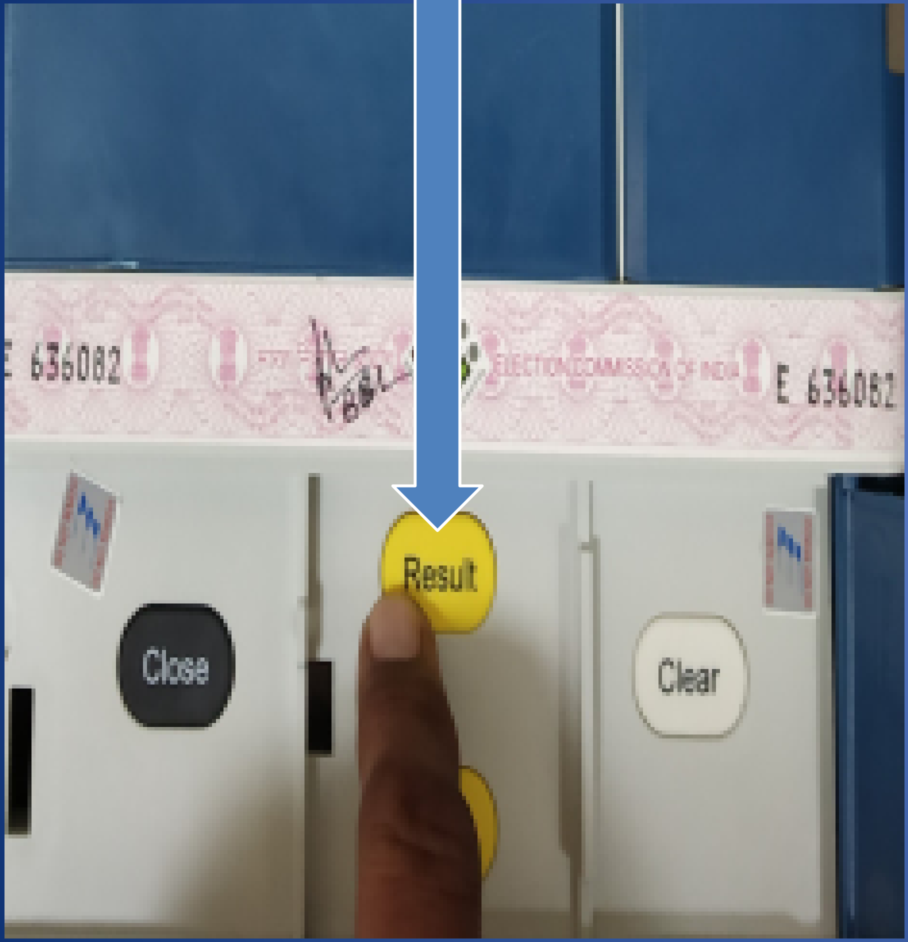

- परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन का प्रयोग किया जाता है द्य

रिजल्ट'' का बटन दबाने पर उम्मीदवारों की कुल संख्या,मतदान प्रारम्भ करने का समय, मतदान समाप्ति का समयएकुल डाले गये मतों की संख्या, एवं प्रत्येक उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या डिस्प्ले होती है इसे नोट किया जावे |

1

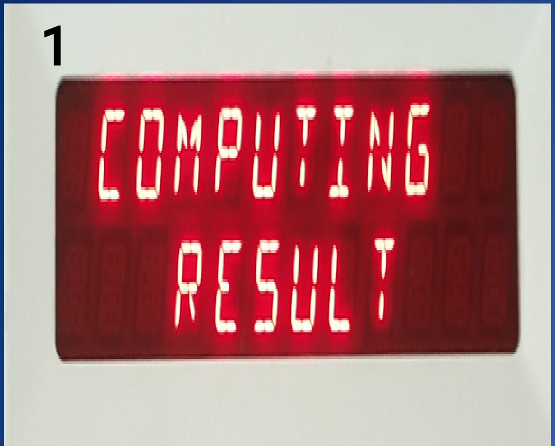

2

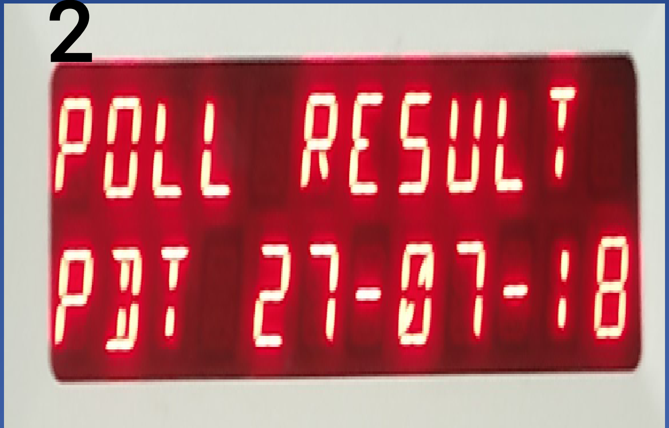

3

4

5

6

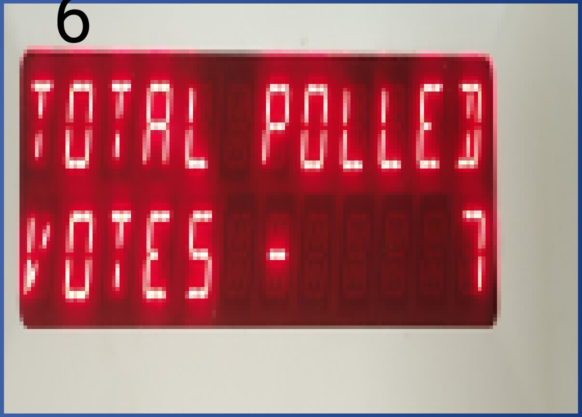

7

8

9

www.rajteachers.com

अब VVPAT का स्लिप ड्राप बॉक्स खोल कर सभी स्लिप निकाल कर इनकी गिनती की जाकर इसके परिणाम को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम से मिलाया जावे|

www.rajteachers.com

VVPAT की स्वयं की जांच की स्लिप जिन्हें गणना में शामिल नहीं करना है

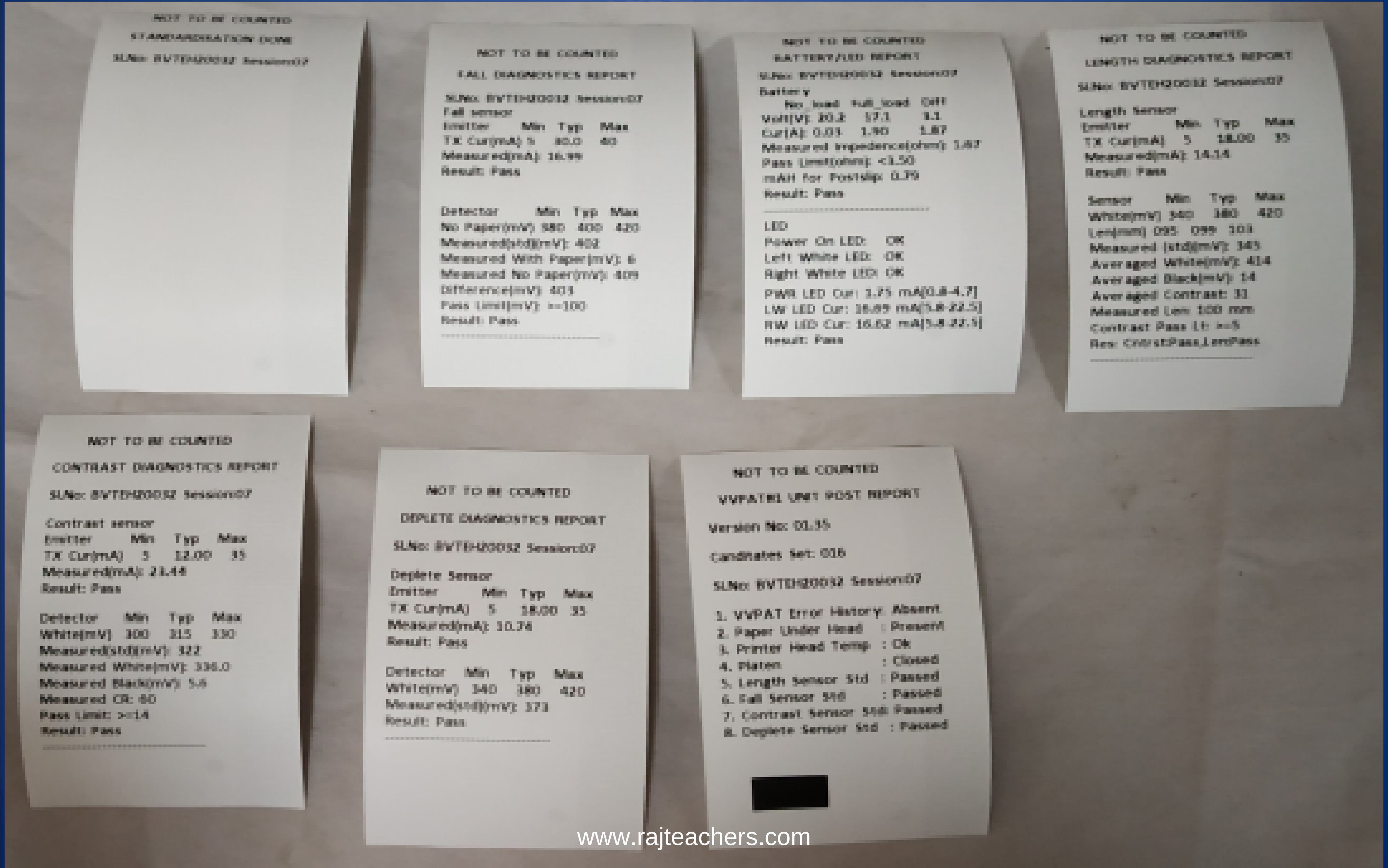

www.rajteachers.com

मतगणना की स्लिप

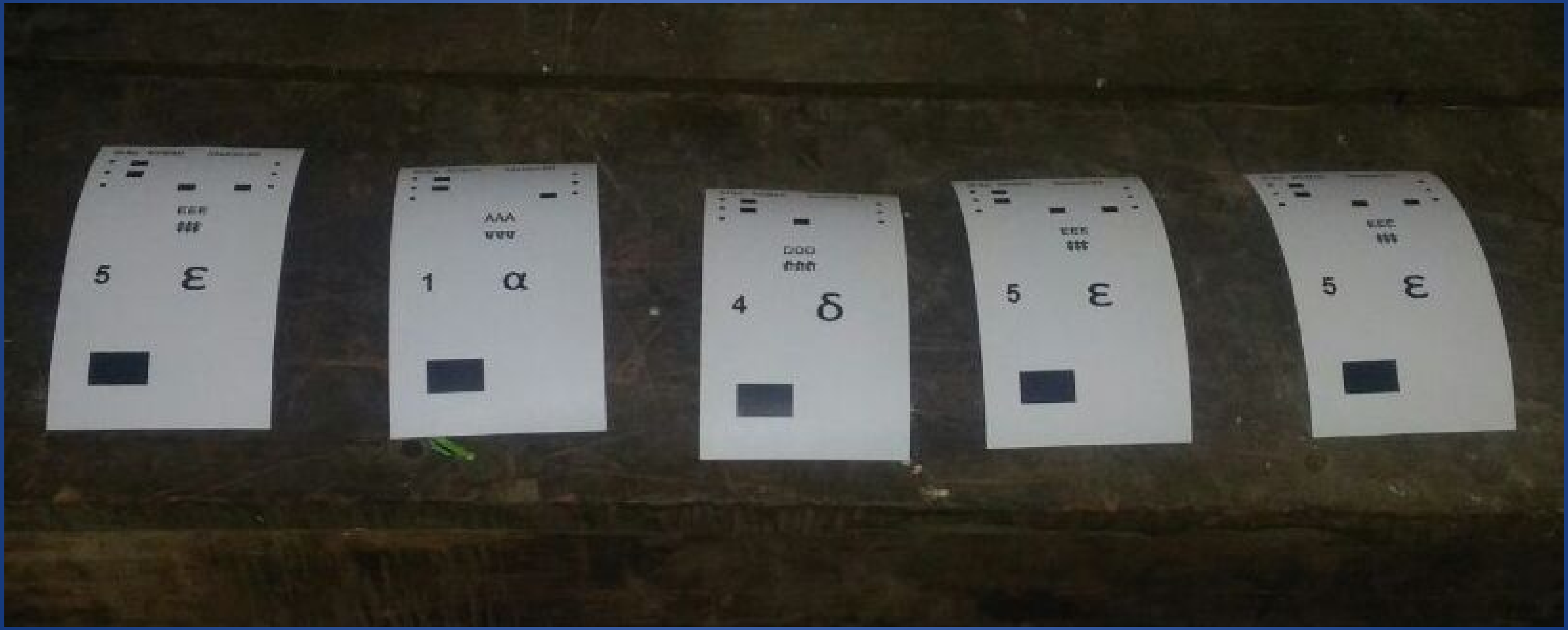

मौक पोल के समय प्राप्त सभी स्लिप के पिछले हिस्से पर मौक पोल स्लिप की मुहर लगा कर इन्हें काले लिफ़ाफ़े में रख कर (लिफ़ाफ़े पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित कर) सीलबंद किया जाएगा इस पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे |

अब इस लिफ़ाफ़े को इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु बने प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर इस पर सभी सूचनाएं अंकित करते हुए पिंक पेपर सील से सील बंद किया जाएगा | पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे

इसके बाद एड्रेस टेग पर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील किया जाएगा |

www.rajteachers.com

इन स्लिपों को काले लिफाफे में सील करना

लिफाफे को पारदर्शी प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर उस पर पिंक पेपर सील लगाना

- सील पर एजेन्टों एवं स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करना।

मौक पोल का प्रमाण पत्र

- नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पीठासीन अधिकारी उसे उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्र में उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं उस पर अपना नाम एवं हस्ताक्षर के साथ–साथ उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर भी करवाय `गा
- यह प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जमा कराय ा जायेगा।

Co-operative press, jaipur

उपाबंध–V

दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... पीठासीन अधिकारी ने .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन .... विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं. .... पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस अर्थात् .... (तारीख) को आज .... a. m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया है:–

कन्ट्रोल यूनिट की क्रम सं. .... (जैसा कि कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ–भाग पर मुद्रित है) बैलेट यूनिट की क्रम सं. .... (जैसा कि बैलेट यूनिट के पृष्ठ–भाग पर मुद्रित है), वीवीपेट(VVPAT) यूनिट की क्रम सं. (यदि प्रयुक्त होती है)...।

1. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और ''इनमें से कोई नहीं'' (NOTA) के लिए भी कुल .... मत डाले गये।
2. यह सत्यापित किया गया कि जब बटन दबाया गया तो सही अभ्यर्थी/ ''इनमें से कोई नहीं'' (NOTA) बटन के लिए एल.ई.डी. लाइट जली और बीप की आवाज भली भांति सुनी गयी।
3. दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों और दर्शित परिणामों का अभ्यर्थी–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों की संख्या	परिणाम की जांच करने पर कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित मतों की संख्या	दिखावटी मतदान के परिणाम की जाँच की गणनानुसार मुद्रित कागज की पर्चियों की संख्या (यदि वीवीपेट प्रयुक्त होती है)	डाले गये मतों और दर्शित परिणामों का और मुद्रित कागज की पर्चियों की गणना (यदि वीवीपेट प्रयुक्त होती है) एक–दूसरे से मिलान किया गया (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6
	इनमें से कोई नहीं (NOTA)				
		योग			

4. मैंने दिखावटी मतदान के पश्चात् ई.वी.एम. की मेमोरी मिटा दी है एवं वीवीपेट की मुद्रित कागज की पर्चियों को हटा दिया है और यह सत्यापित किया है कि Total बटन दबाने पर समस्त मेमोरी मिट गयी है और योग '0' के रूप में दर्शित हो गया है।

5. दिखावटी मतदान के समय पर अभ्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अभिकर्ताओं के नामों के सामने वर्णित हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे और मैंने इनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

क्रम सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

अथवा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/केवल निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पंद्रह मिनट और प्रतीक्षा करने के पश्चात्, मैंने अन्य मतदान कर्मचारिवृन्द के साथ .... a. m. पर दिखावटी मतदान संचालित किया।

6. वास्तविक मतदान के आरंभ के समय कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने के तारीख और समय .... (2006 के पश्चात् की ई.वी.एम. के मामले में भरा जाना है)

सूक्ष्म–प्रेक्षक (Micro Observer) (यदि मतदान केन्द्र पर पदस्थापित है) के नाम व हस्ताक्षर

दिनांक :

समय :

पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अत्यन्त महत्वपूर्ण

पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बिना किसी असफलता के कण्ट्रोल यूनिट से मॉक पोल के आंकडों को मिटा दिया गया है। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम है।

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

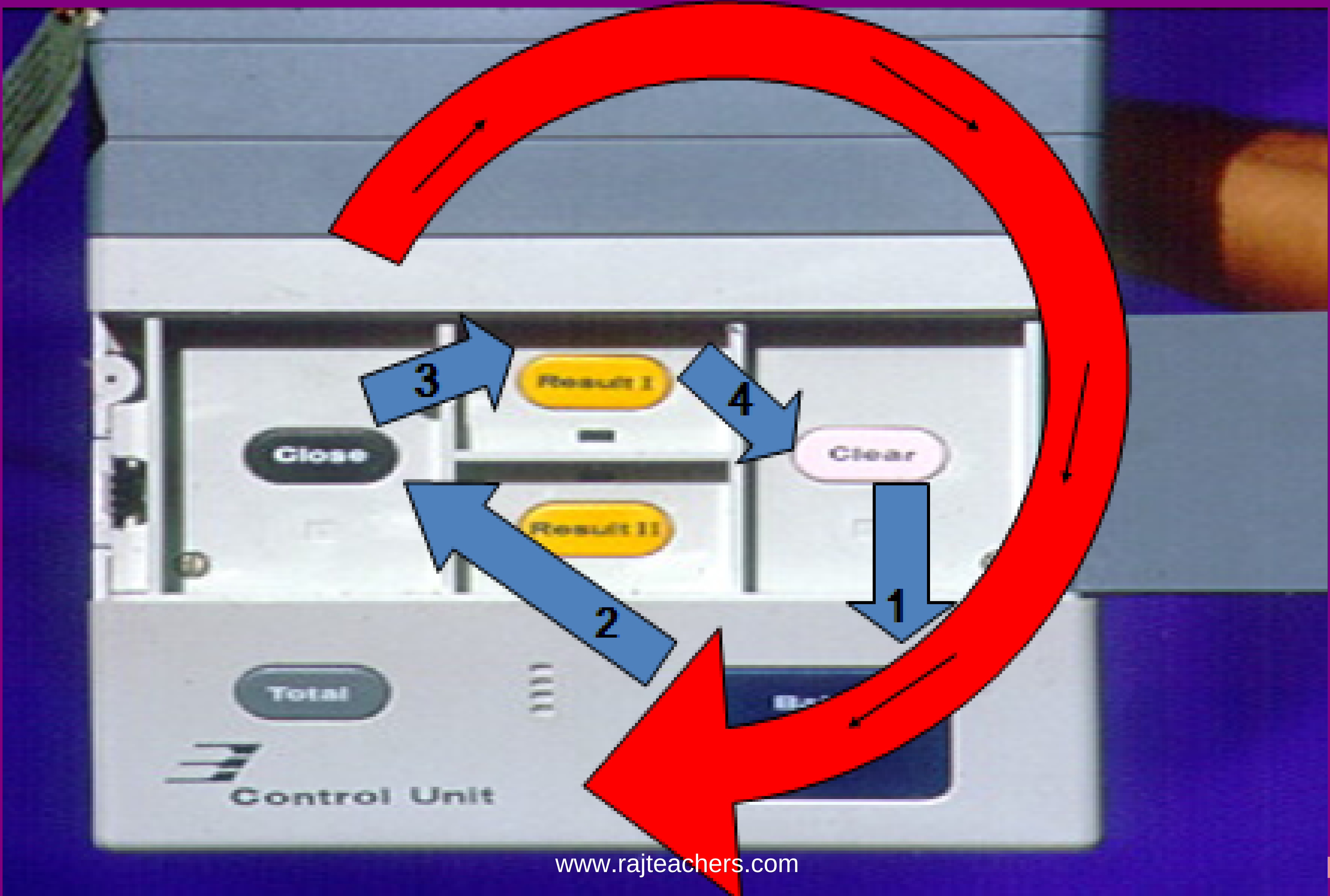

ekSd iksy ds vUr dh egRoiw.kZ प्रकिया

मौक पोल के परिणाम का कंट्रोल यूनिट और VVPAT के परिणाम से कर अब वास्तविक मतदान के लिए मशीन को तैयार किया जाना है इसलिए मौक पोल के समय डाले गए मतों को कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा कर मशीन में सभी उम्मीदवारों को शून्य मत किये जाते हैं VVPAT के ड्राप बोक्स को खाली करके (मौक पोल स्लिप निकाल कर) मशीन को स्विच ऑफ़ कर सील करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है

मौक पोल के बाद वास्तविक मतदान हेतु ई वी एम सील करने के चरण

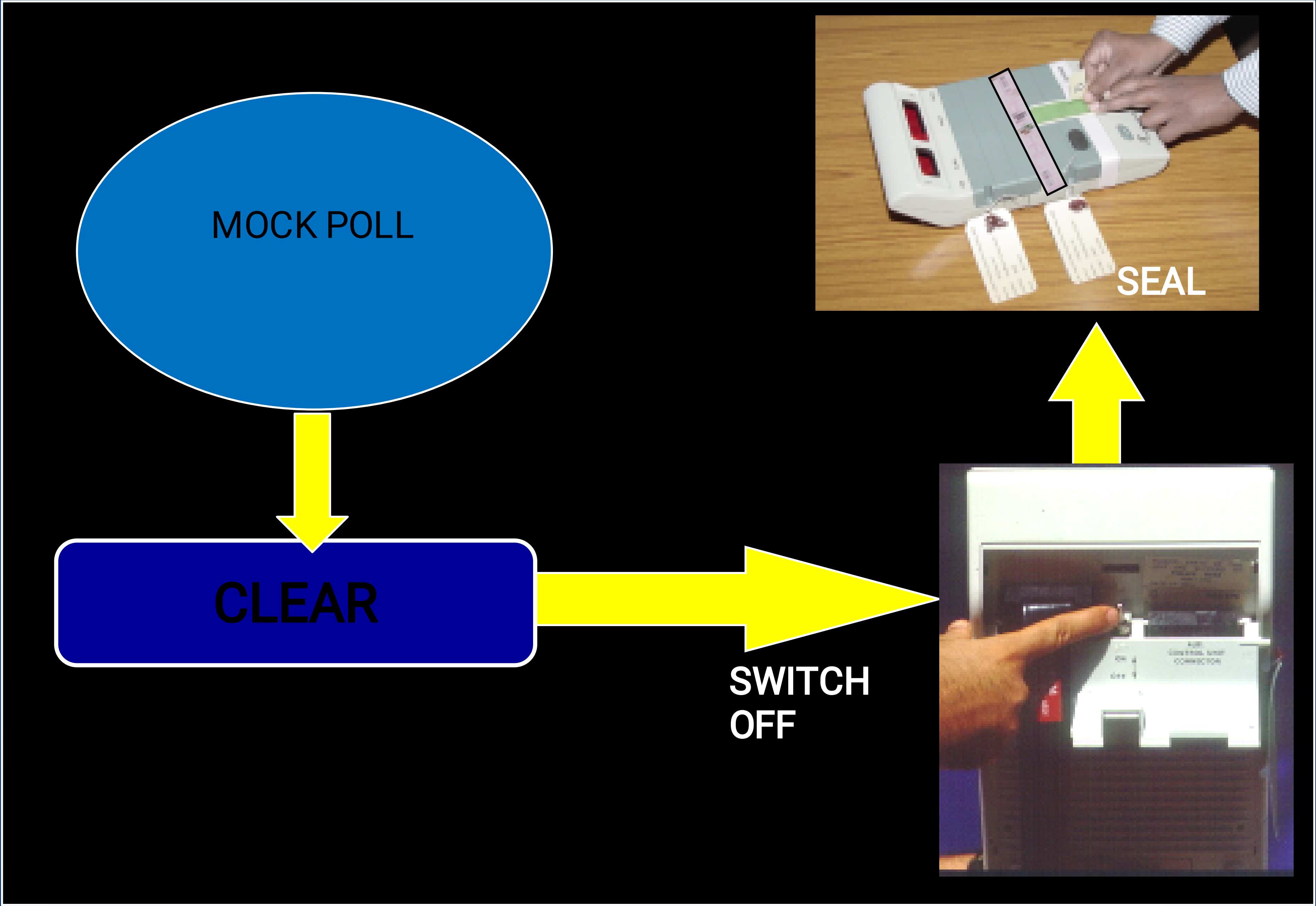

VVPAT प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील करना

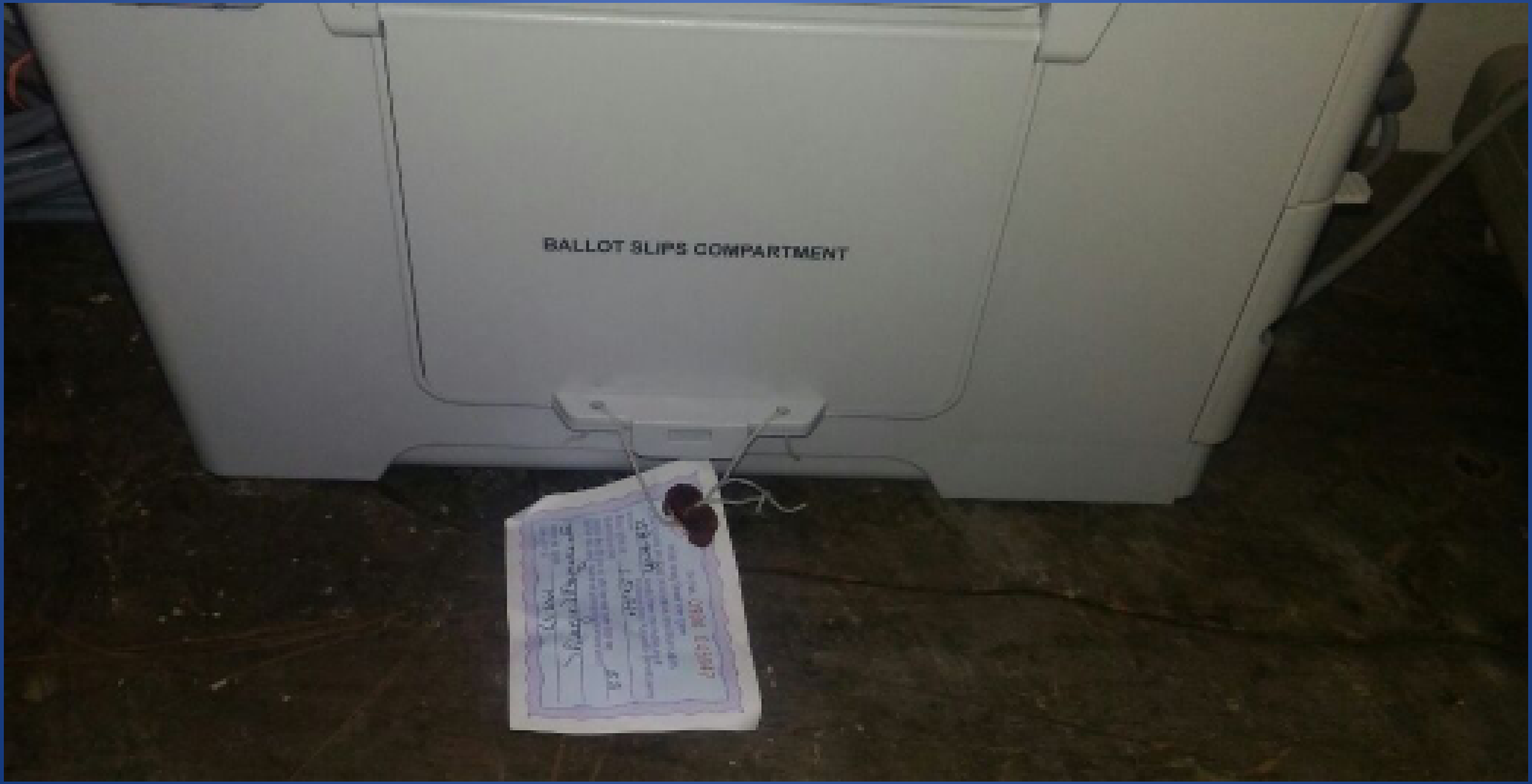

THANKS